2008:CGHC:8883

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

[एकलपीठ : माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायाधीश]

दाण्डिक अपील क्र. 673 वर्ष 1990

अपीलकर्ता — घुन्नू राम गावड़े

विरुद्ध

प्रत्यर्थी — मध्यप्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय उद्घोषणा हेतु 04-09-2008 को सूचीबद्ध किया जावे

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

[एकलपीठ : माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायाधीश]

दाण्डिक अपील क्रमांक 673 वर्ष 1990

अपीलकर्ता — घुन्नूराम गावड़े, आयु लगभग 35 वर्ष, पिता मनीहार गावड़े, निवासी ग्राम बलोदा, थाना दल्ली राजहरा, क्लर्क एवं रीडर, तहसीलदार, नवागढ़, जिला दुर्ग (म. प्र.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी — मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, रायपुर, म. प्र.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विद्वानअधिवक्ता श्री वी. जी. तामस्कर, अपीलकर्ता की ओर से ।
पैनल अधिवक्ता सुश्री संगीता मिश्रा, प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से ।

दाण्डिक अपील, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत।

निर्णय
(04-09-2008)

1. यह अपील, विशेष प्रकरण क्रमांक 1/1988 में दिनांक 11.07.1990 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके अंतर्गत अपीलकर्ता को, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 5(2) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है तथा अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹500/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड का भुगतान न करने की दशा में अतिरिक्त तीन माह का कठोर कारावास, तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दण्डादेश दिया गया है।

2. विचारण न्यायालय के निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अधिनियम की **धारा 5(A)(1)** के अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन में, कथित अवैध परितोषण हेतु उद्देश्य अथवा प्रतिफल का कोई प्रमाण, तथा उसकी स्वीकृति अथवा बरामदगी का कोई साक्ष्य

उपलब्ध न होने पर भी, माननीय विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलकर्ता को पूर्वोक्त रूप से दोषसिद्ध व दण्डित कर अवैधता की है।

3. अभियुक्त/अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वी. जी. तामस्कर, , तथा सुश्री संगीता मिश्रा पैनल अधिवक्ता, प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, जिसमें आक्षेपित निर्णय भी सम्मिलित है, का अवलोकन किया गया।

4. अभियोजन का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि दिनांक 16.07.1986 को अभियुक्त/अपीलकर्ता, तहसीलदार, नवागढ़ के कार्यालय में लिपिक की पंक्ति पर पदस्थ था। अन्य अभियुक्त गोटीलाल, उसी कार्यालय में चपरासी की पंक्ति पर पदस्थ था। सह-अभियुक्त जलेश्वर, तहसील कार्यालय परिसर में अर्ज़ी-नवीस का कार्य कर रहा था। सह-अभियुक्त लखनलाल, अभियुक्त जलेश्वर का भाई है। शिकायतकर्ता चन्दन दास, ग्राम मानपुर निवासी कृषक था। अपनी भूमि से संबंधित ऋण पुस्तिका की आवश्यकता होने के कारण, उसने आवश्यक प्रमाणपत्र, नायब तहसीलदार, नवागढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रमाणपत्र के आधार पर, नायब तहसीलदार ने शिकायतकर्ता चन्दन दास को ऋण पुस्तिका जारी करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता चन्दन दास, ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अभियुक्त/अपीलकर्ता के पास गया, जहाँ शिकायतकर्ता ने मूल प्रमाणपत्र **प्रदर्श पी 1** अभियुक्त/अपीलकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर, अभियुक्त/अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता से पूछा कि वह अपने साथ कितने रुपये लाया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके पास ऋण पुस्तिका का मूल्य ₹2/- है, इस पर अभियुक्त/अपीलकर्ता ने कहा कि ₹2/- में ऋण पुस्तिका नहीं दी जाएगी और ₹60/- का भुगतान करने पर ही ऋण पुस्तिका प्राप्त होगी, तथा उक्त प्रमाणपत्र उसे लौटा दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. शिकायतकर्ता अपने ग्राम वापस गया, ताकि अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई राशि की व्यवस्था कर सके, किन्तु ग्रामवासियों द्वारा यह परामर्श दिए जाने पर कि ऋण पुस्तिका ₹2/- में दी जाती है, वह लोकायुक्त कार्यालय, रायपुर गया और उसने लिखित शिकायत **प्रदर्श पी -2** प्रस्तुत की। लोकायुक्त कार्यालय में पदस्थ पुलिस अधीक्षक ने शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त, लोकायुक्त कार्यालय में पदस्थ पुलिस निरीक्षक श्री बी. डी. धनंजय को मामले की विवेचना हेतु निर्देशित किया। उन्होंने शिकायतकर्ता को उसकी संतुष्टि हेतु **प्रदर्श पी -2** भी प्रदान की। तत्पश्चात, उन्होंने पंच साक्षी सुरेन्द्र कुमार सक्सेना (अभियोजन साक्षी -5) को बुलाया, जिन्होंने **प्रदर्श पी -2** की विषयवस्तु पढ़कर सुनाई। शिकायतकर्ता ने उन्हें बताया कि वह उसी दिन अभियुक्त/अपीलकर्ता को रिश्वत नहीं देना चाहता था और उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया। पूछे जाने पर, उसने ₹10/- मूल्य के छह करेंसी नोट नोट प्रस्तुत किए, जिनके अंक प्रारंभिक पंचनामा **प्रदर्श पी -1** में अंकित किए गए और उन पर फिनॉलफ्थलीन पाउडर की परत लगाकर, शिकायतकर्ता की कमीज की जेब में रख दी गई। शिकायतकर्ता को यह भी निर्देश दिया गया कि वह किसी से हाथ न मिलाए और जब अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा मांग की जाए तभी उक्त करेंसी नोट नोट उसे दे, तथा पैसा देते समय अपने हाथ को सिर पर रखकर उन्हें संकेत दे। फिनॉलफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के अभिक्रिया परीक्षण का प्रदर्शन किया

गया। प्रारंभिक पंचनामा **प्रदर्श पी -3** तैयार किया गया। शिकायतकर्ता एवं ट्रैप पार्टी घटनास्थल हेतु रवाना हुए।

शिकायतकर्ता तहसील कार्यालय गया और कुछ समय पश्चात वापस आकर ट्रैप पार्टी को सूचित किया कि अभियुक्त/अपीलकर्ता अपने घर गया है, जो तहसील कार्यालय के समीप स्थित है। ट्रैप पार्टी ने शिकायतकर्ता को अभियुक्त/अपीलकर्ता के घर भेजा। जब वह वहां जा रहा था, सह-अभियुक्त गोटीलाल मार्ग में मिला और दोनों अभियुक्त/अपीलकर्ता के घर पहुंचे, जहाँ अभियुक्त/अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता से रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त/अपीलकर्ता को मांगे गए ₹10/- के छह करेंसी नोट नोट देने पर, उसने उन्हें गिना और शिकायतकर्ता चन्दन दास को वहीं रुकने के लिए कहा। अभियुक्त/अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त गोटीलाल कमरे के भीतर गए, आपस में चर्चा की और कुछ समय बाद बाहर आए। अभियुक्त/अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता से कहा कि वह गोटीलाल के साथ अर्ज़ी-नवीस के पास जाए। शिकायतकर्ता और सह-अभियुक्त गोटीलाल, अर्ज़ी-नवीस जलेश्वर के पास गए। अर्ज़ी-नवीस के पास जाते समय, शिकायतकर्ता ने ट्रैप पार्टीको अभियुक्त/अपीलकर्ता को रुपये देने की जानकारी दी। पकड़ दल, अभियुक्त/अपीलकर्ता के घर पहुंचा और पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने शिकायतकर्ता से रुपये लिए, किन्तु उन्हें सह-अभियुक्त गोटीलाल को दे दिए। कुछ समय बाद सह-अभियुक्त गोटीलाल एवं जलेश्वर ऋण पुस्तिका लेकर वहां आए।

गोटीलाल की तलाशी लेने पर, उसकी फुल पैंट की जेब से ₹10/- के दो करेंसी नोट नोट, तथा उसकी कमीज की जेब से ₹1/- का सिक्का एवं ₹2/- का एक करेंसी नोट नोट बरामद हुआ। अभियुक्त गोटीलाल ने बताया कि उसने ₹40/- अर्ज़ी-नवीस जलेश्वर के भाई लखनलाल को दिए, किन्तु वह राशि किसी भी अभियुक्त से बरामद नहीं हुई। अभियुक्त गोटीलाल की फुल पैंट **प्रदर्श पी -10** के तहत ज़ब्त की गई। अभियुक्त जलेश्वर, लखनलाल एवं घुन्नूराम – वर्तमान अभियुक्त – के हाथों को सोडियम कार्बोनेट के घोल से धुला गया, जो गुलाबी हो गया। पंचनामा **प्रदर्श पी -11** तैयार किया गया। ऋण पुस्तिका निर्गमन संबंधी अभिलेख **प्रदर्श पी -5** के तहत ज़ब्त किया गया। प्रमाणपत्र **प्रदर्श पी -1** को **प्रदर्श पी -4** के तहत ज़ब्त किया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। ज़ब्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु रायपुर स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला **प्रदर्श पी -14** के तहत भेजा गया और परीक्षण में, ज़ब्त वस्तुओं पर फिनॉलफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति **प्रदर्श पी -16** के तहत पुष्टि हुई। अभियुक्त/अपीलकर्ता के अभियोजन हेतु अनुमोदन **प्रदर्श पी -9** के तहत प्राप्त किया गया। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अभियुक्त/अपीलकर्ता का अपराध सिद्ध करने के उद्देश्य से, अभियोजन पक्ष ने छह साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्त/अपीलकर्ता का कथन, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रकट तथ्यों का खण्डन करते हुए अपनी निर्दोषता तथा प्रकरण में झूठा फंसाए जाने का कथन किया।

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त, माननीय विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलकर्ता को पूर्वोक्त रूप से दोषसिद्ध कर दण्डित किया तथा सह-अभियुक्त गोटीलाल, जलेश्वर और लखनलाल को उनके विरुद्ध आरोपों से दोषमुक्त किया।

8. अभियुक्त/अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित अपराध की विवेचना, लोकायुक्त कार्यालय में पदस्थ पुलिस निरीक्षक श्री बी. डी. धनंजय द्वारा की गई, जिन्हें राज्य शासन द्वारा अधिनियम, 1947 की **धारा 5(A)(1)** के अंतर्गत आवश्यक प्राधिकार प्रदान नहीं किया गया था। उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के पुलिस निरीक्षक द्वारा की गई संपूर्ण विवेचना अवैध है। यह भी तर्क किया गया है कि अभियोजन पक्ष, अपीलकर्ता के हेतुक को सिद्ध नहीं कर पाया है तथा शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए ₹10/- मूल्य के छह करेंसी नोट नोट, उसके कब्जे से बरामद नहीं हुए। ट्रैप कार्यालय समय के उपरान्त की गई, उस समय अभियुक्त/अपीलकर्ता अपने कार्यालयीन कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। ऋण पुस्तिका, नायब तहसीलदार द्वारा तैयार की जानी थी, जो उसे प्रदान करने के लिए सक्षम है, न कि लिपिक द्वारा। अतः अभियुक्त/अपीलकर्ता को अपने शासकीय पद का दुरुपयोग करने वाला नहीं कहा जा सकता। अंत में, यह तर्क किया गया कि अभियुक्त/अपीलकर्ता वर्ष 1988 से विचरण का सामना कर रहा है तथा ₹60/- की कथित रिश्वत लेने के 20 वर्ष पश्चात, उसे कारागार भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

9. अभियुक्त/अपीलकर्ता की ओर से **अजमेर राज्य (वर्तमान राजस्थान) विरुद्ध शिवलाल**[1] के विषय में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए धन लेने वाला शासकीय शिक्षक, अपने दायित्व के निर्वहन में कदाचार का दोषी नहीं है। इसके अतिरिक्त, **गोवा राज्य विरुद्ध बाबू थॉमस**[2] के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने की दशा में दिया गया अनुमोदन वैध नहीं है। इसके अलावा, **राज्य विरुद्ध नरसिम्हाचार्य**[3] के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि राज्य शासन के सचिव द्वारा राज्यपाल के नाम से प्रमाणित अनुमोदन एक लोक अभिलेख है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएं 76 से 78 के अनुसार सिद्ध किया जा सकता है। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि अंतिम अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात, जिसके लिए रिश्वत की मांग की गई हो, उक्त रिश्वत की मांग संदिग्ध प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त, **राज्य, पुलिस निरीक्षक, विशाखापट्टनम विरुद्ध सूर्य शंकरम कर्री**[4] [4]के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त विवेचना की अनुमति लिखित रूप में होना आवश्यक है। मौखिक निर्देश जारी करना अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है और ऐसे अधिकारी द्वारा की गई विवेचना निष्पक्ष नहीं है तथा यह अवैध है। फिर भी, **वी. वेंकटा सुब्बाराव विरुद्ध राज्य, द्वारा प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक, आंध्र प्रदेश**[55] के मामले में उच्चतम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] AIR 1959SC 847
[2] 2005Cri.L.J.4379
[3] 2006 Cri.L.J.518
[4] 2006 Cri.L.J.4598
[5] (2006) 13SCC 305

न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि अधिनियम, 1988 की धारा 20 के अंतर्गत अनुमान, रिश्वत की मांग के किसी भी प्रमाण के अभाव में नहीं लगाया जा सकता। रिश्वत की मांग एवं आवेदक के मकान से धन की बरामदगी के अभाव में, अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया गया है।

11. यह ऐसा प्रकरण है जिसमें लोक सेवक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वैधानिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त, प्रेरणा या प्रतिफल स्वरूप अवैध पारिश्रमिक की मांग कर, आपराधिक कदाचार किया गया है और ऐसे मामलों में अभियोजन के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को सिद्ध करना अनिवार्य है –

(i) अपराध के समय अभियुक्त लोक सेवक था;

(ii) अभियुक्त ने अपने पद का दुरुपयोग अथवा दुष्प्रयोग किया;

(iii) अभियुक्त ने वैधानिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त, प्रेरणा या प्रतिफल स्वरूप अवैध पारिश्रमिक की मांग की;

(iv) अभियुक्त ने ऐसे पारिश्रमिक को स्वीकार या प्राप्त किया;

(v) अपराध की विवेचना, अधिनियम, 1947 की धारा 5(a) अथवा अधिनियम, 1988 की धारा 17 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई;

(vi) ऐसा वैध अनुमोदन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा ऐसे लोक सेवक को उसकी पंक्ति से हटाने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा, अपने व्यक्तिपरक संतोष के उपरान्त, प्रदान किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. पक्षकारों के तर्क को स्थापित करने हेतु, मैंने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सहित, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण किया है।

13. यह विवादित नहीं है कि घटना के समय, अर्थात 15.07.1986 और 16.07.1986 को, अपीलकर्ता, तहसील कार्यालय, नवागांव में लिपिक के रूप में पदस्थ था। अभियोजन के मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता चंदन दास को ऋण पुस्तिका की आवश्यकता थी, अतः उसने इसके लिए अपीलकर्ता से संपर्क किया। संपर्क किए जाने पर, अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता से ऋण पुस्तिका जारी करने के लिए अवैध पारिश्रमिक की मांग की। ट्रैप पार्टी का गठन किया गया, शिकायतकर्ता ट्रैप पार्टी के साथ 16.07.1986 को तहसील कार्यालय गया, जहाँ अपीलकर्ता उपस्थित नहीं था, तत्पश्चात वे अपीलकर्ता के घर गए। अभियोजन द्वारा संकलित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपराध के समय अपीलकर्ता जो कि एक लोक सेवक था, अपने घर में था और ऋण पुस्तिका तैयार करने एवं प्रदान करने हेतु, उसके या उसके कार्यालय अथवा शासकीय प्राधिकार द्वारा की गई कथित मांग एवं स्वीकृति, उसी के घर में की गई थी।

14. लोक सेवक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध परितोषण की मांग एवं स्वीकृति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी मांग एवं स्वीकृति कार्यालय में अथवा कार्यालय समय के दौरान ही हो। अभियोजन को यह तथ्य स्थापित करना आवश्यक है कि यह मांग उसके पदीय कार्य के संबंध में थी और लोक सेवक ने अपने पद का दुरुपयोग अथवा दुष्प्रयोग किया।, *अजमेर राज्य विरुद्ध शिवजी लाल* (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अभियुक्त को रेलवे के रनिंग शेड में किसी व्यक्ति को नौकरी दिलाने का अधिकार नहीं था, अतः उसने अपने कर्तव्य के निर्वहन में कोई दुराचार नहीं किया।

15. *, अजमेर राज्य* (पूर्वोक्त) के प्रकरण पर पुनर्विचार हेतु पाँच न्यायाधीशों की एक वृहद् पीठ गठित की गई और लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचार के संबंध में ***धनेश्वर नारायण सक्सेना विरुद्ध दिल्ली प्रशासन***[6] के प्रकरण में यह अभिमत व्यक्त किया गया कि अधिनियम की धारा 5 के उपबंध (d) के अंतर्गत अपराध के गठन हेतु यह आवश्यक नहीं है कि लोक सेवक अपने ही कर्तव्य के संबंध में कुछ कार्य करे और इस प्रकार कोई मूल्यवान वस्तु अथवा धन संबंधी लाभ प्राप्त करे। यह कहना भी समान रूप से गलत है कि यदि कोई लोक सेवक किसी तृतीय व्यक्ति से भ्रष्ट या अवैध उपायों से अथवा अन्यथा अपने पद का दुरुपयोग कर, किसी अन्य लोक सेवक को भ्रष्ट करने के लिए धन लेता है, तो उसके द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में दुराचार का प्रश्न न होने पर भी उसने धारा 5(1)(d) के अंतर्गत अपराध नहीं किया है। यह भी गलत है कि धारा 5(2) सहपठित धारा 5(1)(d) का सार यह है कि लोक सेवक को अपने ही कर्तव्य के निर्वहन में कुछ करना चाहिए और इस प्रकार कोई मूल्यवान वस्तु अथवा धन संबंधी लाभ प्राप्त करना चाहिए। यह आवश्यक है कि धारा 5(1) के उपबंध (d) के अंतर्गत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत, अभियुक्त व्यक्ति, जबकि वह दुराचार कर रहा हो, अपने कर्तव्य के निर्वहन में ऐसा करे और इस प्रकार कोई मूल्यवान वस्तु अथवा धन संबंधी लाभ प्राप्त करे। यदि कोई लोक सेवक किसी तृतीय पक्ष से भ्रष्ट अथवा अवैध उपायों से अथवा अन्यथा अपने पद का दुरुपयोग कर, किसी अन्य लोक सेवक को भ्रष्ट करने के लिए धन लेता है, तो वह धारा 5(1)(d) सहपठित धारा 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध करता है। ***दलपत सिंह एवं अन्य विरुद्ध, राजस्थान*** ***राज्य***[7] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि जिन कृत्यों की शिकायत की गई है, उनका पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में होना आवश्यक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. वर्तमान प्रकरण में अपीलकर्ता तहसीलदार के नियंत्रण में तहसील कार्यालय में लिपिक की पंक्ति पर पदस्थ था। कृषकों को ऋण पुस्तिका जारी करवाना तहसीलदार का भी दायित्व था। जिस उद्देश्य से अवैध परितोषण की मांग की गई, वह अपीलकर्ता के कर्तव्य से इतना दूरस्थ नहीं है। यदि ऐसा भी हो, तो अधिनियम, 1947 की धारा 5 के उपबंध (d) के अंतर्गत आपराधिक दुराचार के गठन हेतु केवल यह देखना आवश्यक है कि लोक सेवक ने अपने पद का दुरुपयोग किया या नहीं। लोक सेवक द्वारा दुराचार एवं अपने पद के दुरुपयोग से संबंधित विधि का उच्चतम न्यायालय द्वारा *धनेश्वर नारायण सक्सेना विरुद्ध दिल्ली प्रशासन* (पूर्वोक्त) के प्रकरण में समुचित स्पष्टीकरण किया गया है।

17. विचारणीय दूसरा प्रश्न यह है कि क्या उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा की गई विवेचना अवैध है। *वी. वेंकट सुब्बाराव विरुद्ध राज्य प्रतिनिधि, पुलिस निरीक्षक, आंध्र प्रदेश* (पूर्वोक्त) के प्रकरण पर आश्रय लेते हुए अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि संपूर्ण विवेचना पुलिस निरीक्षक बी. डी. धनंजय द्वारा की गई, जो उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे थे और जिन्हें अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(A) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था।

18. इस अपील में अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया तीसरा बिंदु यह है कि अपराध की विवेचना करने वाले अधिकारी की क्षमता। वर्तमान प्रकरण में अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध की विवेचना पुलिस निरीक्षक बी. डी. धनंजय (**अभियोजन साक्षी** -6) द्वारा की गई। उन्होंने अपने कथन में कहा है कि उन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की विवेचना करने के लिए

[6] AIR SC 1962 195
[7] AIR 1969 SC 17

निर्देशित किया गया था और उन्होंने दस्तावेज़ प्रदर्श-पी-2 प्रस्तुत किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध अधिनियम, 1947 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की विवेचना हेतु अधिकृत किया गया था। अधिनियम, 1947 की धारा 5-ए में यह उपबंधित है कि उप पुलिस अधीक्षक अथवा राज्य शासन द्वारा अधिकृत पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे न हो, वही अपराध की विवेचना करने के लिए सक्षम होगा। अधिनियम, 1947 की धारा 5-A इस प्रकार है—

"धारा 5-A. इस अधिनियम के संबंधित मामलों की जांच।

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में किसी भी बात के घटित हुए भी, निम्न पद का कोई भी पुलिस अधिकारी -

(a) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना मामले में, पुलिस निरीक्षक के मामले में;

(b) कलकत्ता और मद्रास के प्रेसीडेंसी-नगरों में सहायक पुलिस कमिश्नर के रूप में;

(c) बम्बई के प्रेसीडेंसी शहर में एक पुलिस कप्तान की वकालत; और

(d) अन्यत्र, पुलिस उपाधीक्षक, भारतीय दंड संहिता की धारा 161, धारा 165 या धारा 165क के अधीन या इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का अधिकार, यथास्थिति, प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा, या उसके लिए किसी अपराध का आदेश नहीं दिया जाएगा:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लेकिन यदि पुलिस अधिकारी की पंक्ति से अन्य कोई पुलिस अधिकारी राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकारी द्वारा किया जाता है तो वह, एस्टीसिटि, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी किसी भी अपराध की मान्यता प्राप्त कर सकता है या उसके लिए उसकी सदस्यता के बिना कर सकता है:

लेकिन यह और धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (d) में किसी भी अपराध के पुलिस अधिकारी को अन्य पंक्ति के पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना दोषी नहीं ठहराया जाएगा।

(2) यदि, किसी पुलिस अधिकारी से प्राप्त जानकारी से या अन्यथा, किसी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे अपराध के बारे में संदेह करने का कारण बनता है, जिसके बारे में तर्क दिया जाता है कि वह उपधारा (1) के अंतर्गत आता है और वह बताता है कि ऐसे अपराध के बारे में सलाह या जांच के प्रस्तावों के लिए किसी बैंकर भाई का निरीक्षण करना आवश्यक है, तो तत्सम प्रोवृत्त किसी भी विधि में किसी भी बात के होने पर, वह किसी भी बैंकर भाई का अध्ययन कर सकता है, जब तक वे उस व्यक्ति के दस्तावेजों से संबंधित होते हैं, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसने क्या किया है या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में संदेह है कि वह उस व्यक्ति की ओर से धनाढ्य है, और वहां से सहयोगी

दलों के प्रमाण पत्र ले या लेवा भवन, और संबंधित बैंक इस उपधारा के स्वामित्व वाली अपनी शक्तियों के प्रयोजन में पुलिस अधिकारी की सहायता के लिए बाध्य होंगे:

लेकिन इस उपधारा के अधीन किसी व्यक्ति के लेखा के संबंध में कोई भी शक्ति पुलिस कप्तान की पंक्ति से नीचे के अधिकारी द्वारा तब तक प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे पुलिस कप्तान की पंक्ति या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत नहीं किया गया हो।"

19. *वी. वेंकट सुब्बाराव विरुद्ध राज्य, पुलिस निरीक्षक, आंध्र प्रदेश* द्वारा *प्रतिनिधि* (पूर्वोक्त) के प्रकरण में विवेचना ऐसे अधिकारी द्वारा की गई थी, जो अधिनियम, 1988 की धारा 17 (अधिनियम, 1947 की धारा 5-A के समान प्रावधान) के अंतर्गत अधिकृत नहीं था। विवेचना अधिकारी ने कहा कि उन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकृत किया गया था, किंतु वे ऐसा कोई प्राधिकार प्रस्तुत करने में असफल रहे, और जिस प्रकार से विवेचना की गई, वह निंदनीय थी और उनकी सद्भावना पर संदेह उत्पन्न करती थी। उन्होंने महत्वपूर्ण साक्षियों का परीक्षण नहीं किया और न ही दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। निंदनीय विवेचना और प्राधिकार से संबंधित दस्तावेज के अभाव के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि अभियुक्त/अपीलकर्ता को गंभीर क्षति हुई है। अतः विवेचना अवैध थी।

20. ***आन्ध्र प्रदेश राज्य विरुद्ध पी.वी. नारायण***[8]के प्रकरण में, जिसमें अधिनियम, 1947 की धारा 5(1) के उपबंधों पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अवैध अन्वेषण के मामले में न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि क्या उससे अभियुक्त को कोई हानि या प्रतिकूल प्रभाव पहुँचा है। *छत्तीसगढ़ राज्य विरुद्ध हरमहेंद्र सिंह गांधी* (दाण्डिक अपील क्रमांक 843 सन् 2001, निर्णय दिनांक 21.9.2005) के प्रकरण में यह निर्णय दिया गया है कि अन्वेषण में कोई दोष या अवैधानिकता, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो, संज्ञान अथवा परीक्षण से संबंधित विधिक क्षमता या कार्यवाही की प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालती। अधिनियम, 1947 की धारा 5-A के उपबंधों पर विचार करते हुए *एच.एन.* **ऋषबुद तथा अन्य विरुद्ध राज्य दिल्ली**[9] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया अन्वेषण स्वतः अवैध नहीं हो जाता, जब तक कि अभियुक्त अथवा पक्ष को गंभीर हानि पहुँचने का प्रमाण न हो और यह न्यायालय की विधिक क्षमता अथवा अधिकारिता को प्रभावित नहीं करता। *एच.एन. ऋषबुद (पूर्वोक्त)* के निर्णय पर भरोसा करते हुए, **मुन्नालाल (सभी अपीलों में) विरुद्ध राज्य उत्तर प्रदेश (सभी अपीलों में)**[10] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि प्रावधान का उल्लंघन करके किया गया अन्वेषण अवैध है, किन्तु यदि न्याय की विफलता अनुपस्थित है तो परीक्षण निरस्त नहीं होगा। मुझे अपीलकर्ता के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता।

21. वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त/अपीलकर्ता ने परीक्षण अथवा अपील के चरण पर ऐसी कोई आपत्ति अथवा बचाओ प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त, बी.डी. धनंजय (अभियोजन साक्षी .-6) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे पुलिस अधीक्षक द्वारा इस विषय का अन्वेषण करने हेतु निर्देशित किया गया था और तदनुसार, परिवाद प्राप्त करने के बाद उसने प्रारम्भिक जाँच की तथा स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ट्रैप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[8] 1971(I) SCC 483
[9] AIR 1955 SC 196
[10] AIR 1964 SC 28

की कार्यवाही की और अपराध का अन्वेषण किया। बचाव पक्ष द्वारा अन्वेषण में ऐसी कोई त्रुटि नहीं दिखाई गई है जिससे वह अन्यायपूर्ण, निन्दनीय अथवा अन्य किसी प्रकार से अवैध हो।

22. पूर्वोक्त विधिक स्थिति के आलोक में, यदि अन्वेषण में कोई दोष या अवैधता हो भी, तो वह विवेचना की अधिकारिता को प्रभावित नहीं करती जब तक कि उससे अभियुक्त को गंभीर हानि न पहुँचे।

23. अनुमोदन प्रदान करना उस प्राधिकारी का एक आधिकारिक कृत्य है जो अनुमोदन प्रदान करता है और न्यायालय धारा 114 के उपबंध (e) साक्ष्य अधिनियम के अनुसार यह उपधारित कर सकता है कि न्यायिक तथा आधिकारिक कृत्य नियमित रूप से संपादित किए गए हैं। अनुमोदन आदेशधारा 74 साक्ष्य अधिनियम के अर्थ में एक लोक दस्तावेज है और उसके प्रस्तुत करने पर सिद्ध किया जा सकता है। इसे दो प्रकार से किया जाना चाहिए;

(i) मूल अनुमति प्रस्तुत करके, जिसमें स्वयं अपराध का गठन करने वाले तथ्य तथा संतोष के आधार निहित हों; और

(ii) अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करके यह दिखाने हेतु कि अनुमति प्रदाता प्राधिकारी के समक्ष कौन से तथ्य रखे गए थे और उससे प्राप्त संतोष क्या था। **राज्य विरुद्ध गोवा (पूर्वोक्त)** प्रकरण में यह माना गया है कि यदि अनुमति उस प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई हो जो उसे प्रदान करने का अधिकारी नहीं है तो ऐसी अनुमति कोई अनुमति नहीं है। **राज्य विरुद्ध के. नरसिम्हाचार्य (पूर्वोक्त)** प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया कि अनुमोदन आदेश धारा 74 के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज है और उसे धारा 47 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, तथा अनुमोदन आदेश पर हस्ताक्षर की प्रमाणीकरण उसे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोहम्मद इक़बाल अहमद विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्य[11][11] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि अभियोजन के लिए यह अनिवार्य है कि वह सिद्ध करे कि अनुमति प्रदाता प्राधिकारी द्वारा वैध अनुमति प्रदान की गई है, और यह तब किया जाता है जब प्राधिकारी यह संतुष्ट हो कि अपराध का गठन करने वाले तथ्य विद्यमान हैं। यह दो प्रकार से किया जाना चाहिए:

(1) मूल अनुमति प्रस्तुत करके जिसमें अपराध के तथ्य और संतोष के आधार निहित हों, तथा

(2) अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करके यह दिखाने हेतु कि अनुमति प्रदाता प्राधिकारी के समक्ष तथ्य रखे गए थे और उससे प्राप्त संतोष क्या था। कोई भी मामला यदि उचित अनुमति के बिना संस्थित किया गया हो तो वह असफल होना ही है क्योंकि यह अभियोजन की एक प्रत्यक्ष त्रुटि है और सम्पूर्ण कार्यवाही "**आदि से शून्य"** *(void ab initio)* हो जाती है। न्यायालय को यह देखना होता है कि अनुमति प्रदान करते समय प्राधिकारी अपराध के तथ्य से अवगत था या नहीं और उसने इस विषय में विचार किया या नहीं; अनुमति प्रदान करने के बाद अस्तित्व में आने वाले कोई भी तथ्य सर्वथा असंगत हैं। अनुमति प्रदान करना एक निरर्थक औपचारिकता या कटु अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर और पवित्र कृत्य है जो शासकीय सेवकों को निराधार अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करता

[11] AIR 1979 SC 677

है और इसलिए किसी भी शासकीय सेवक के विरुद्ध अभियोजन प्रारम्भ करने से पूर्व इसका कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए।

24. प्रदर्श *पी -9* एक **लोक अभिलेख** है और अभियोजन ने अभियोजन के प्रकरण का विवरण समाहित करने वाला मूल अनुमोदन आदेश *प्रदर्श पी -9* प्रस्तुत किया है। धारा के अनुसार अनुमोदन प्राधिकार द्वारा व्यक्तिपरक संतोष के उपरान्त प्रदत्त यह आदेश किसी भी प्रकार की **अवैधता अथवा दोष** से ग्रस्त नहीं है और इस प्रकार यह विधि के अधीन **वैध अनुमोदन** है।

25. अगला प्रश्न विचारणीय यह है कि क्या अभियुक्त/अपीलार्थी के अभियोजन हेतु अधिनियम, 1947 की धारा 6 के अधीन प्राधिकार प्रदाता प्राधिकारी द्वारा वैध और विधिपूर्वक अनुमोदन प्रदान किया गया था ? सोपन सिन्डे (अभियोजन साक्षी-4), जो सचिवालय, राजस्व विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक की पंक्ति पर पदस्थ थे, ने यह कहा है कि अभियोजन के अनुमोदन आदेश पर श्री भावे, प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर अंकित हैं। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि अनुमोदन आदेश प्रदर्श-9 पर श्री भावे के हस्ताक्षर नहीं हैं। उसने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श-9 में कुछ संशोधन किया गया है तथा उस संशोधन के बाद किसी ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, परन्तु यह एक लिपिकीय त्रुटि है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. जहाँ तक अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा वैधानिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त किसी अवैध परितोषण की माँग और स्वीकृति का प्रश्न है, चन्दन दास (अभियोजन साक्षी-1) ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि उसे अपनी भूमि से सम्बन्धित ऋण पुस्तिका की आवश्यकता थी, उसने आवश्यक प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार नवागढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार ने शिकायतकर्ता चन्दन दास को ऋण पुस्तिका जारी करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात्, शिकायतकर्ता चन्दन दास ऋण पुस्तिका प्राप्त करने हेतु अभियुक्त/अपीलार्थी के पास गया, जहाँ उसने उक्त प्रमाण पत्र प्रदर्श-1 अभियुक्त/अपीलार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अभियुक्त/अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से पूछा कि वह कितना धन लेकर आया है। जब शिकायतकर्ता ने कहा कि वह ऋण पुस्तिका की कीमत, जो कि ₹2/- थी, साथ लाया है, तब अभियुक्त/अपीलार्थी ने कहा कि ऋण पुस्तिका ₹2/- में नहीं दी जाएगी तथा ₹60/- देने पर ही ऋण पुस्तिका प्राप्त होगी, और उसने उक्त प्रमाण पत्र लौटा दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता अपने गाँव वापस गया और धन की व्यवस्था करने का प्रयास किया, परन्तु ग्रामीणों के परामर्श पर कि ऋण पुस्तिका ₹2/- में उपलब्ध होती है, वह लोकायुक्त, रायपुर के कार्यालय गया और पुलिस अधीक्षक के समक्ष लिखित शिकायत प्रदर्श-2 प्रस्तुत की।

सतर्कता विभाग के अधिकारी ने शिकायतकर्ता से धन प्राप्त किया और करेंसी नोट नोट पर फिनॉल्फ्थेलिन चूर्ण लगाया तथा उन्हें शिकायतकर्ता की शर्ट की जेब में यह निर्देश देकर रखा कि जब अभियुक्त धन की माँग करे, तभी उसे देना है। तत्पश्चात् शिकायतकर्ता और ट्रैप पार्टी स्थान के लिए रवाना हुए। शिकायतकर्ता तहसील कार्यालय गया और कुछ समय पश्चात् लौटकर ट्रैप पार्टी को सूचित किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी अपने घर गया है

जो तहसील कार्यालय के पास ही स्थित है। ट्रैप पार्टी ने शिकायतकर्ता को अभियुक्त/अपीलार्थी के घर भेजा और जब वह वहाँ जा रहा था, तब सह-अभियुक्त गोटीलाल उसे मार्ग में मिला और दोनों अभियुक्त/अपीलार्थी के घर पहुँचे, जहाँ अभियुक्त/अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से धन की माँग की। जब शिकायतकर्ता ने अभियुक्त/अपीलार्थी को माँगा गया धन दिया, उसने उसे गिना और चन्दन दास से वहीं रहने को कहा। अभियुक्त/अपीलार्थी और सह-अभियुक्त गोटीलाल कमरे के भीतर गए और कुछ समय पश्चात् बाहर आए। अभियुक्त/अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को गोटीलाल के साथ अर्जि नविस अर्थात् जलेश्वर के पास जाने के लिए कहा। शिकायतकर्ता और सह-अभियुक्त गोटीलाल अर्जि नविस जलेश्वर के पास गए। अर्जि नविस के पास जाते समय शिकायतकर्ता ने ट्रैप पार्टी को सूचित किया कि उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को धन दे दिया है। ट्रैप पार्टी अभियुक्त/अपीलार्थी के घर पहुँचा और पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने शिकायतकर्ता से धन लिया था परन्तु उसे सह-अभियुक्त गोटीलाल को दे दिया। कुछ समय पश्चात् सह-अभियुक्त गोटीलाल और जलेश्वर भी प्रमाण पत्र प्रदर्श-1 लेकर वहाँ आए। गोटीलाल को ट्रैप पार्टी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसके कब्जे से ₹20/- या ₹30/- प्राप्त हुए। प्रमाण पत्र प्रदर्श-1 को जब्ती पत्रक प्रदर्श-4 के तहत ज़ब्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. बी.डी. धनंजय (अभियोजन साक्षी-6) जिसने ट्रैप की कार्यवाही संपन्न की थी, ने सम्पूर्ण घटनाक्रम स्पष्ट रूप से बताया है तथा प्रदर्श पी-2 से प्रदर्श पी-16 तक के दस्तावेज़ों को सिद्ध किया है। उनके कथन के अनुसार, पुलिस अधीक्षक से लिखित परिवाद प्राप्त करने के बाद उन्होंने परिवादी से परिवाद के संबंध में पूछताछ की तथा पंच साक्षी सुरेन्द्र कुमार सक्सेना (अभियोजन साक्षी-5) को बुलाया। परिवादी से करेंसी नोट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जिस पर उसने 10 रुपये मूल्य के छह करेंसी नोट नोट प्रस्तुत किये जिनके अंक पंचनामा प्रदर्श-3 में अंकित किये गये। उन करेंसी नोट नोटों पर फिनॉलफ्थेलिन चूर्ण लगाकर परिवादी की कमीज़ की जेब में रखा गया और यह निर्देश दिया गया कि अभियुक्त जब माँगे तभी वह उक्त धन देगा और धन देने के उपरान्त अपने सिर पर हाथ रखकर संकेत करेगा। फिनॉलफ्थेलिन चूर्ण एवं सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया का प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात वे लोग तहसील कार्यालय गये जहाँ अभियुक्त पदस्थ था किन्तु कार्यालय बन्द होने के कारण वे अपीलार्थी के निवास गये और पूछताछ में अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि उसने 60 रुपये लिये और ऋण पुस्तिका प्राप्त करने हेतु गोटीलाल को दे दिये। अभियुक्त/अपीलार्थी के हाथों को सोडियम कार्बोनेट के विलयन से धुलवाया गया जो गुलाबी रंग में परिवर्तित हुआ। इस बीच गोटीलाल और जलेश्वर भी वहाँ आ गये। उनके हाथों को भी सोडियम कार्बोनेट के विलयन से धुलवाया गया जो नीले रंग में परिवर्तित हुआ। तलाशी में गोटीलाल के कब्ज़े से 10 रुपये मूल्य के दो करेंसी नोट नोट प्राप्त हुए। करेंसी नोटों के अंक पंचनामा प्रदर्श पी-3 से मिलाए गये। करेंसी नोट, एक पैंट तथा अन्य दस्तावेज़ प्रदर्श पी-10 के अनुसार जब्त किए गये। सम्पूर्ण कार्यवाही का विवरण अन्तिम पंचनामा प्रदर्शपी-11 में अंकित किया गया। देहाती नलिसी प्रदर्श-12 दर्ज की गयी तथा उसके आधार पर प्रथम सुचना प्रदर्श पी-13 पंजीकृत की गयी। समस्त ज़ब्तशुदा सामग्री रासायनिक परीक्षण हेतु

प्रेषित की गयी और परीक्षण उपरान्त उन पर फिनॉलफ्थेलिन चूर्ण की उपस्थिति की पुष्टि प्रदर्श पी-16 के अनुसार हुई।

28. सुरेन्द्र कुमार सक्सेना (अभियोजन साक्षी-5) ने चन्दन दास (अभियोजन साक्षी-1) एवं बी.डी. धनंजय (अभियोजन साक्षी-6) के कथनों की पुष्टि की है। रंजीत सिंह (अभियोजन साक्षी-2) ने रजिस्टर प्रदर्श पी-6 की जब्ती प्रदर्श पी-5 के अनुसार सिद्ध की है। एम.आर. तिर्की (अभियोजन साक्षी-3) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने प्रमाणपत्र प्रदर्श-7 निर्गत किया था तथा उक्त रजिस्टर में प्रविष्टि अपीलार्थी द्वारा की गयी थी। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलार्थी ऋण पुस्तिका के वितरण संबंधी प्रविष्टि रजिस्टर प्रदर्श-6 में किया करता था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों से ऋण पुस्तिका निर्गत करने हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

29. परिवादी चन्दन दास तथा अन्वेषण अधिकारी का कथन, सुरेन्द्र कुमार सक्सेना (अभियोजन साक्षी-5) के कथन से पुष्ट होता है। बचाव पक्ष ने चन्दन दास (अभियोजन साक्षी-1), सुरेन्द्र कुमार सक्सेना (अभियोजन साक्षी-5) एवं बी.डी. धनंजय (अभियोजन साक्षी-6) से विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण की है। चन्दन दास (अभियोजन साक्षी-1) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 9 में कहा है कि जब अभियुक्त/अपीलार्थी ने उससे 2 रुपये के स्थान पर 60 रुपये की माँग की, तब वह तहसीलदार के पास इस भय से नहीं गया कि सम्भव है तहसीलदार उससे और अधिक धन माँग ले। अभियुक्त/अपीलार्थी ने धन की माँग नहीं की, यह सुझाव इस साक्षी ने अस्वीकार कर दिया। सुरेन्द्र कुमार सक्सेना (अभियोजन साक्षी-5) ने अपनी प्रतिपरीक्षण में कहा कि अभियोग प्रदर्श-2 उसके सामने नहीं लिखा गया था। बी.डी. धनंजय (अभियोजन साक्षी-6) ने अपनी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि यदि चूर्ण लगे हुए नोट किसी अन्य व्यक्ति को दिये जाएँ अथवा यदि किसी के हाथ में चूर्ण लगा हो और वह अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाये तो उस व्यक्ति के पास चूर्ण की उपस्थिति होना सम्भावित है जिसे नोट दिया गया अथवा जिससे हाथ मिलाया गया। किन्तु इस मामले में परिवादी अथवा किसी साक्षी ने यह नहीं कहा कि उसने चूर्ण लगे हुए नोट किसी अन्य व्यक्ति को दिये सिवाय अभियुक्त/अपीलार्थी के। अभियुक्त/अपीलार्थी ने स्वयं यह नहीं कहा कि उसके हाथ परिवादी अथवा ट्रैप पार्टी के किसी सदस्य से सम्पर्क में आये। बचाव पक्ष ने बी.डी. धनंजय (अभियोजन साक्षी-6) से यह प्रश्न नहीं किया कि अपीलार्थी का हाथ धोने का विलयन गुलाबी नहीं हुआ अथवा फिनॉलफ्थेलिन की उपस्थिति सिद्ध नहीं हुई। अपीलार्थी ने शत्रुता अथवा कोई अन्य परिस्थिति का यह बचाओ नहीं लिया कि परिवादी अथवा ट्रैप पार्टी ने उसे झूठा फँसाया है। इस प्रकरण में चूर्ण लगे हुए नोट अपीलार्थी से बरामद नहीं हुए। तथापि, परिवादी चन्दन दास ने स्पष्ट कहा कि अपीलार्थी ने 60 रुपये परितोषण के रूप में माँगे और उसने 10 रुपये मूल्य के छह चूर्ण लगे करेंसी नोट नोट अपीलार्थी को दिये। धन प्राप्त करने के पश्चात् अपीलार्थी गोटीलाल के साथ कमरे के भीतर गया और परामर्श करने के बाद दोनों बाहर आये तथा अपीलार्थी ने गोटीलाल को कहा कि वह परिवादी को अर्ज़ी नविस जलेश्वर के घर ऋण पुस्तिका प्राप्त करने ले जाये। परिवादी गोटीलाल के साथ जलेश्वर के घर जा रहा था, रास्ते में उसने ट्रैप पार्टी को सूचित किया कि उसने धन अपीलार्थी को दे दिया है। कुछ समय पश्चात् जलेश्वर और गोटीलाल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त/अपीलार्थी के घर आये। अपीलार्थी के पास से कोई करेंसी नोट नोट नहीं मिला किन्तु गोटीलाल की जेब से 10 रुपये मूल्य के दो करेंसी नोट नोट मिले। जाँच में गोटीलाल ने बताया कि शेष करेंसी नोट उसने जलेश्वर के भाई लखनलाल को दे दिये।

30. वि. वेंकटा सुब्बाराव (पूर्वोक्त) के मामले में अभियोजन पक्ष परितोषण की माँग सिद्ध करने में विफल रहा। अभियोजन ने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि अभियुक्त ने धन प्राप्त किया और दोनों हाथों से उसे गिना, किन्तु जब उसके एक हाथ की उँगलियाँ सोडियम कार्बोनेट के विलयन में डुबोयी गयीं, तब वह विलयन गुलाबी हो गया। परिवादी और अन्य साक्षियों द्वारा साक्ष्य में अनेक सुधार किये गये और साक्ष्य का विस्तारपूर्वक विचार करने के उपरान्त माँग सिद्ध नहीं पायी गयी।

31. इस प्रकरण में परिवादी ने कहा है कि अपीलार्थी ने ऋण पुस्तिका तैयार करने हेतु 60 रुपये घूस की माँग की, उसने यह तथ्य सतर्कता विभाग को बताया और घटना वाले दिन भी उसने उससे 60 रुपये माँगे। धन प्राप्त करने के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी तथा सह-अभियुक्त गोटीलाल कमरे के भीतर गये और कुछ समय बाद जब वे बाहर आये तो अपीलार्थी ने गोटीलाल से कहा कि परिवादी को ऋण पुस्तिका प्राप्त करने हेतु जलेश्वर के पास ले जाये। तत्पश्चात् 10 रुपये मूल्य के दो करेंसी नोट नोट गोटीलाल के पास से प्राप्त हुए और शेष उसने जलेश्वर के भाई लखनलाल को देने की बात कही।

32. बचाव पक्ष ने इन साक्षियों से विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण की किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य सिद्ध नहीं किया जा सका कि अपीलार्थी तहसीलदार कार्यालय में लिपिक की पंक्ति पर पदस्थ था और किसानों को ऋण पुस्तिका जारी करना उसका दायित्व था तथा उसने परिवादी से ऋण पुस्तिका तैयार करने के लिए 60 रुपये की माँग और स्वीकृति की। तत्पश्चात् तुरन्त वह गोटीलाल के साथ कमरे में गया और कुछ समय बाद बाहर आया तथा अपीलार्थी ने गोटीलाल से कहा कि वह परिवादी को ऋण पुस्तिका प्राप्त करने हेतु जलेश्वर के घर ले जाये और 60 रुपये में से 20 रुपये गोटीलाल से बरामद हुए। अभियोजन ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन चलाने हेतु अधिनियम 1947 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार प्रदर्श पी -9 के तहत अनुमोदन प्राप्त किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरान्त, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया और उपर्युक्तानुसार दण्डित किया।

34. वर्तमान मामले में अन्वेषण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जो अपराध की जाँच करने हेतु सक्षम नहीं था। किन्तु यह नहीं दर्शाया गया कि यदि अन्वेषण ऐसे अधिकारी द्वारा किया गया जो इसके लिए सक्षम नहीं था तो इससे अभियुक्त/अपीलार्थी को कोई क्षति पहुँची हो। अन्वेषण की त्रुटि से विचारण की क्षमता प्रभावित नहीं होगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन भी वैध अनुमोदन है और अधिनियम 1947 की धारा 6 की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। परिवादी चन्दन दास तथा बी.डी. धनंजय (अभियोजन साक्षी-**6**) का कथन विश्वसनीय है और विश्वास को प्रेरित करता है। उनके कथनों पर सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता है।

35. दोषसिद्धि विश्वसनीय और प्रमाणिक साक्ष्य पर आधारित है। मुझे आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता अथवा अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं होती। दण्ड के सम्बन्ध में, अभियुक्त को अधिनियम की धारा 5(2) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी पाया गया है और उसे धारा 5(2) के अंतर्गत एक वर्ष का

कठोर कारावास तथा 500 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दण्ड दिया गया है। अभियुक्त/अपीलार्थी ने सन् 1986 में 60 रुपये की माँग और स्वीकृति की थी और तभी से वह विचारण का सामना कर रहा है। माँग और स्वीकृति की गई अवैध परितोषण राशि तथा कार्यवाही की लम्बित अवधि को ध्यान में रखते हुए मेरा मत है कि तीन माह का कठोर कारावास और 3000 रुपये का अर्थदण्ड न्यायोचित होगा।

36. अतः, अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। अपीलार्थी पर अधिनियम की धारा 5(2) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत आरोपित दोषसिद्धि यथावत् रखी जाती है। तथापि, अभियुक्त/अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत तीन माह का कठोर कारावास एवं 3000 रुपये का अर्थदण्ड तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत तीन माह का कठोर कारावास भुगतने का दण्ड दिया जाता है। दोनों दण्ड एक साथ चलेंगे।

सही/-

टी. पी. शर्मा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Advocate Shraddha Raj Jyotishi.